# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

**भविष्य निधि कार्यालय के समीप,**
**अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल**

क्रमांक/पं.रा./एफ–1–27–2958/2021/0179 भोपाल, दिनांक05 01.2021

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला – **समस्त**
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत – **समस्त**
   मध्यप्रदेश

**विषय :– ग्राम सभा का सम्मिलन आयोजित करने के संबंध में।**

–0–

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा–6 के अनुसार ग्राम सभा का सम्मिलन कम से कम जनवरी, अप्रैल, अगस्त तथा अक्टूबर में होगा। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा, यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त सम्मिलन बुला सकेगी और जिले का कलेक्टर ऐसे सम्मिलनों के समुचित इंतजाम के लिए शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को नाम निर्देशित करेगा, जो सम्मिलन की कार्यसूची (एजेण्डा) का परिपालन तथा तारीख, समय तथा स्थान की सूचना समय पर तामील किया जाना सुनिश्चित करेगा और सम्मिलन की कार्यवाहियों का सम्यक संचालन भी सुनिश्चित करेगा।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार 04 ग्राम सभाओं के अलावा जिला कलेक्टर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च एवं विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून को ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त निर्देश के साथ निम्नानुसार निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाए –

1. ग्राम सभाएं रोटेशन में ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में पृथक–पृथक आयोजित की जाएं।
2. जब ग्राम पंचायत के मुख्यालय के गांव में ग्राम सभा का आयोजन हो तो सभी ग्रामों के लोग उपस्थित हों।
3. वर्तमान में प्रत्येक ग्राम सभा के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी सामान्यतः क्लस्टर/सेक्टर लेवल के होते हैं, कुछ चयनित ग्राम सभाओं में जिला/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को भी नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
4. कोरम की पूर्ति एक औपचारिकता का विषय नहीं, प्रचार–प्रसार की प्रभावोत्पादकता का विषय है, उसे सुनिश्चित करें।
5. ग्राम सभा की वीडियोग्राफी भले ही वह मोबाईल रिकार्डिंग के माध्यम से हो, सुनिश्चित की जाए।
6. ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही विवरण बैठक समाप्त होने के पूर्व पढ़कर सुनाया जाए।

निरंतर .....2 पर

7. इन ग्राम सभाओं की बैठकों को आकर्षक व रोचक बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व अन्य विकास विभागों का आई.ई.सी. मटेरियल/सी.डी. आदि दृश्य/श्रव्य माध्यमों से डिस्प्ले की व्यवस्था की जाए।
8. ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं, अनुसूचित जाति व जन जाति वर्ग, युवाओं व दिव्यांगों की उपस्थिति ग्राम सभाओं की जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित की जाए।
9. कोविड–19 के तहत शासन स्तर से जारी निर्देशानुसार प्रभावी कार्यवाही करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित किया जावे।

(बी.एस. जामोद)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय,
म0प्र0

क्रमांक/एफ–1-2958/2021//180 भोपाल, दिनांक 05/01/2021

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल, कृपया पंचायत दर्पण पोर्टल में पृथक व्यवस्था की जाकर ग्राम सभाओं की बैठक के फोटो/वीडियो अपलोड करवाने, कोरम सुनिश्चित करने व उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक Accreditation System स्थापित करने व प्रत्येक विकासखण्ड/जिले में नियमित व्यवस्थित व कोरम सहित सर्वाधिक उपस्थिति के साथ ग्रामसभाओं का आयोजन करने वाली प्रथम तीन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने संबंधी आवश्यक आगामी कार्यवाही करें।
5. आयुक्त संभागायुक्त समस्त संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आर.आर.डी.ए. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

9. संचालक,ग्रामीण रोजगार/ग्रामीण आवास/बाल्मी/एम.डी.एम/एस.बी.एम/एस.आर.एल. एम./सामाजिक अंकेक्षण/रूरबन मिशन/जल ग्रहण मिशन /सामाजिक संपरीक्षा /सामाजिक न्याय, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
10. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विंध्याचल भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ
11. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–समस्त (म0प्र0) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय,
म0प्र0